CNR No UPMH010031112026

न्यायालय सेशन न्यायाधीश, महराजगंज.

उपस्थितः अरविन्द मलिक, एच0जे0एस0 आई0डी0यू0पी01904

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–950 / 2026

जितेन्द्र प्रसाद पुत्र छेदी प्रसाद उम्र करीब 46 वर्ष निवासी ग्राम–रामपुर जंगल, थाना हनुमानगंज, जनपद कुशीनगर।

...आवेदक / अभियुक्त

बनाम

उ0प्र0राज्य ...अभियोजन पक्ष

मुकदमा अपराध संख्या–100 / 2026
धारा–318(4),319 (2),115(2),352,351(3), 317(2), 61(2) बी0एन0एस0
थाना–सिन्दुरिया, जिला–महराजगंज।

22–07–2026 **निस्तारण प्रार्थनापत्र 3क**

1– प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक / अभियुक्त जितेन्द्र प्रसाद की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–100 / 2026 धारा–318(4), 319(2), 115(2). 352, 351(3), 317 (2) एवं 61(2) बी0एन0एस0 थाना–सिन्दुरिया, जिला–महराजगंज में जमानत हेतु संस्थित किया गया है।

2– आवेदक / अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र के साथ प्रस्तुत शपथपत्र में यह कथन किया गया है कि उसका इस न्यायालय में यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र है और उसका कोई अन्य जमानत प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में लम्बित नहीं है।

3– अभियोजन केस संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी रंजीत चौहान ने दिनांक 02–05–2026 को थाना सिन्दुरिया जिला महराजगंज में इस आशय का तहरीर दिया कि वह अविवाहित है। उसके रिश्ते के मामा सत्यवान चौहान ने करीब एक माह पहले उसे बताया कि तुम्हारी शादी की बात चल रही है। एक **जितेन्द्र** नाम का आदमी है शायद वह महराजगंज का रहने वाला है वही शादी करवा रहा है। मामा के जरिये ही उसकी जितेन्द्र से बात हुयी तो जितेन्द्र ने कहा कि एक बार आकर लड़की को देख लो, लड़की के पिता मर चुके है उसकी मां गूंगी बहरी है। तब वादी के पिता जी ने कहा कि मुझे अच्छी लड़की से मतलब है। मैं अपने बेटे रंजीत की शादी कर लूंगा तब जितेन्द्र ने कहा कि लड़की वाले के पास

पैसे नहीं है। शादी का सारा खर्चा आपको ही करना पड़ेगा। उसने कहा कि एक बार आकर लड़की देख लो फिर शादी करा देंगे। फिर अचानक जितेन्द्र ने मेरे मामा को फोन करके कहा एक चार पहिये गाड़ी में चार–छः लोग आ जाओ। सीधे शादी करा देते हैं। उसके बाद दिनांक 02–05–2026 को समय लगभग 08:00 बजे वादी, उसके पिता सन्तोष, मामा सत्यवान, वादी का छोटा भाई अजीत व जीजा संदीप चारपहिया गाड़ी सं०–यूपी 87 डब्लू 7399 के चालक प्रशान्त सिंह के साथ बलुअहीधूस थाना सिन्दुरिया मन्दिर के पास पहुंचे तो वहां पर उक्त लड़की तथा उसके साथ दो अन्य महिलायें व एक पुरूष जिसका नाम जितेन्द्र है, मिले जिन्होंने हमको लड़की दिखाया, जो फोटो भेजे थे, वही लड़की दिखाया तो हम लोग शादी के लिये तैयार हो गये। इसी बीच जितेन्द्र ने 10,000/– रूपये खाने पीने के लिये मांगा तो वादी ने उसे 10,000/– रूपये दे दिया। वहीं कुछ दूरी पर वादी को ले जाकर उक्त लोगों ने उससे अपने लिये लगभग 1500/– रूपये का कपड़ा भी खरीदवाये। इसके बाद जितेन्द्र व मौजूद वहां महिलाओं ने वादी से शादी के नाम पर 90,000/– रूपये मांगे। वादी उनको 90,000/–रूपये, लड़की को एक मंगलसूत्र जिसकी कीमत लगभग 26,000/– रूपये है तथा एक जोड़ी पायजेब दिया और जैसे ही शादी के लिये हम लोग तैयार हुये वैसे ही एक मोटी सी महिला अचानक आयी और उसने हम लोगों को गाली गुप्ता देते हुये लात मुक्का व चप्पल से मारना शुरू कर दिया। वहां मौजूद दो अन्य महिलायें भी हम लोगों को मारने–पीटने लगीं। इसी बीच जितेन्द्र नाम का आदमी लड़की को लेकर भाग गया। उसके बाद वादी ने डायल 112 पर फोन मिलाया तब तक तीनों महिलायें भी गाली–गुप्ता व जान से मारने की धमकी देते हुये मौके से भाग गयीं। वहां पर वादी ने आसपास के लोगों से जानकारी किया तो पता चला कि जो मोटी महिला है उसका नाम लालती पत्नी श्रवण चौहान निवासी ग्राम गौरी बढ़पुरवा थाना कोठीभार जनपद महराजगंज हैं तथा लड़की जिसे पूजा बताया गया था, उसका असली नाम अंजलिका पत्नी करन साहनी निवासी ग्राम भेड़ियहवा थाना कप्तानगंज जिला कुशीनगर तथा उसकी मां सुमित्रा देवी पत्नी उमेश निवासी पिपरामाफी थाना कप्तानगंज जिला कुशीनगर तथा एक अन्य महिला का नाम काजल चौहान पत्नी राजन गुप्ता निवासी किसान चौक थाना कप्तानगंज जिला कुशीनगर है। जितेन्द्र के बारे में काफी पता किया लेकिन उसके बारे में कुछ पता नहीं चला। लोगों ने बताया कि निचलौल के आस पास का रहने वाला है। उक्त लोगों के बारे में जानकारी करने पर पता चला कि ये लोग बाहरी लोगों को झांसा देकर बुलाते हैं और बेईमानी से पैसा हड़पने के लिये शादी का ढोंग रचा कर पैसा हड़प कर मारपीट कर भगा देते हैं। वादी के साथ भी उक्त लोगों ने ऐसा ही किया है। वादी को पता चला है कि उसके साथ जिसकी शादी का ढोंग रचे थे वह महिला शादीशुदा और एक बच्चे की मां है। उपरोक्त व्यक्तियों ने वादी के साथ छल व धोखा करके झूठी कहानी बना कर पैसे व जेवरात ले लिये तथा उसके साथ मारपीट कर गाली व जान माल की धमकी देकर भाग गये। वादी, उसके जीजा व मामा को चोटें आयी हैं। वादी सूचना दे

रहा है, अनुरोध किया कि मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्यवाही की जाये। वादी की सूचना पर थाना सिन्दुरिया, जिला महराजगंज में दिनांक 02–05–2026 को समय 22रू51 बजे अपराध सं0–100/2020 धारा–318(3), 319(2), 115(2), 352, 351 (3) बी0एन0एस0 अभियुक्तगण जितेन्द्र, लालती, सुमित्रा देवी, काजल चौहान एवं अंजलिका के विरूद्ध दर्ज किया गया। दौरान विवेचना धारा–318 (3) को धारा 318(4) बी0एन0एस0 में परिवर्तित किया गया एवं धारा 317(2), 61(2) बी0एन0एस0 कर बढ़ोत्तरी की गयी।

4– उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्को को सुना गया तथा अभिलेखों का सम्यक अवलोकन किया।

5– आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य तर्क यह प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त बिल्कुल निर्दोष उसने कोई जुर्म कारित नहीं किया है। उस पर लगाया गया आरोप झूठा व मनगढ़न्त है। वादी मुकदमा केले का व्यवसाय करता है और दोनो लोग वादी व आवेदक बिचौलिये का काम करते हैं जिसमें दोनो लोग आवेदक के स्थानीय स्तर पर खेत से केला खरीद कर कमीशन पर केला बेचते हैं उसी के पैसों का लेनदेन का मामला है जिसमें आवेदक को वादी मुकदमा से तीन लाख रूपये प्राप्त करना था जिसको आवेदक ने मोबाइल से कई बार तकादा किया और न मिलने पर धमकी दिया कि तुम्हारे विरूद्ध मुकदमा करूंगा और उसी से बचने के लिये वादी मुकदमा ने झूठी कहानी गढ़कर इस फर्जी मुकदमें में फंसाया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक को स्थानीय पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है और उसके घर पर दबिश दे रही है। पुलिस स्थानीय स्तर के पत्रकारों के प्रभाव में आकर बिना सही तथ्य को जाने आवेदक को गिरफ्तार करने पर तुली हुयी है। आवेदक अपने करीबियों से विवेचना अधिकारी से सम्पर्क कर रहा है तो वह कह रहे हैं कप्तान साहब का गिरफ्तारी के लिये दबाव है। आवेदक अपने घर का एक मात्र कमासुत व वयस्क व्यक्ति है यदि जेल चला जायेगा तो परिवार मुखमरी के करीब आ जायेगा। आवेदक विवेचना में पूर्ण सहयोग करेगा। आवेदक के विरूद्ध किसी भी तरह से प्रथमदृष्ट्या केस नहीं बन रहा है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज किया गया है जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है। तर्क के दौरान आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी कथन किया गया है कि इस मामले की सह अभियुक्तागण की जमानत पूर्व में इस न्यायालय से स्वीकार हो चुकी है। उपरोक्त वर्णित आधारों पर आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाना न्यायहित में है, अनुरोध किया कि आवेदक/अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाये।

6– अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुये यह तथ्य रखा गया है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा अन्य सह अभियुक्तागण के साथ मिल कर लोगों को शादी का झांसा देकर बुलाया जाता है और बेईमानी से पैसा हड़पने के लिये शादी का ढोंग रचा कर पैसा हड़प कर मारपीट कर भगा दिया जाता है और इसी क्रम में आवेदक/अभियुक्त द्वारा सह अभियुक्तागण के साथ मिलकर 10,000/– रूपये खाने पीने के लिये

लिया गया, तथा लगभग 1500/–रूपये का कपड़ा खरीदवाया गया। इसके बाद आवेदक एवं सहअभियुक्तागण ने वादी से शादी के नाम पर 90,000/–रूपये, एक मंगलसूत्र कीमती लगभग 26,000/– रूपये तथा एक जोड़ी पायजेब ले लिया। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है, अनुरोध किया कि आवेदक/अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाये।

7– प्रस्तुत मामले में दौरान विवेचना आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध धारा 317(2) बी0एन0एस0 विलोपित करते हुये आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। सह अभियुक्तागण की जमानत इस न्यायालय से पूर्व में स्वीकार हो चुकी है। आवेदक/अभियुक्त को दिनांक 30–06–2026 से जिला कारागार, महराजगंज में निरूद्ध होना बताया गया है। थाना सिन्दुरिया, जनपद महराजगंज की आख्या दिनांकित 19–07–2026 के अनुसार आवेदक/अभियुक्त का पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास होना नहीं बताया गया है।

8– प्रकरण के उपरोक्त समस्त तथ्यों तथा परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये मामले के गुणदोष पर कोई टिप्पणी किये बिना आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार है।

आदेश

9– तद्नुसार आवेदक/अभियुक्त जितेन्द्र प्रसाद का जमानत प्रार्थनापत्र किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा अंकन 50,000/– रूपये (पचास हजार रूपये) का निजी बन्धपत्र एवं समान राशि के दो जमानती संबंधित न्यायालय की सन्तुष्टि के अनुरूप दाखिल करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर अवमुक्त किया जाएः–

1. यह कि आवेदक/अभियुक्त विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।
2. यह कि आवेदक/अभियुक्त, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मामले के गवाहान को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करेगा और न ही उनको किसी प्रकार की कोई धमकी आदि देगा।
3. आवेदक/अभियुक्त किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि में भाग नहीं लेगा और बिना न्यायालय की पूर्व अनुमति के भारत देश छोड़कर नहीं जायेगा।

10– उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का आवेदक/अभियुक्त द्वारा उल्लंघन किये जाने पर उसका यह जमानत आदेश सम्बन्धित न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

दिनाँकः 22–07–2026

(अरविन्द मलिक)
आई0डी0यू0पी01904
सेशन न्यायाधीश,
महराजगंज।